मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 10 मार्च, 2006

क्रमांक –719–मप्रविनिआ–2006. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 61 सहपठित धारा 181 (2) (जेड डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2932/मप्रविनिआ/2005 दिनांक 5 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 में निम्न संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 में प्रथम संशोधन (एजी–26 (i), वर्ष 2006)

1. <u>संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :</u>

(i) ये विनियम ''**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (प्रथम संशोधन) (क्रमांक एजी–26 (i) वर्ष 2006)**'' कहे जायेंगे ।

(ii) इन विनियमों का विस्तार पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

(iii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. विनियम 3 में संशोधन –

(i) ''**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005** जिसे इसके बाद प्रमुख विनियम कहा जावेगा, **अनुच्छेद 3.9 में**, शब्दों ''देय कर'' के बाद शब्द ''तथा शुल्क'' अन्तर्स्थापित किये जावें ।

(ii) प्रमुख विनियम में, **अनुच्छेद 3.10 (ए) (i) को** निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेग, अर्थात्:

''3.10 कार्यशाली पूंजी में निम्न लागतें शामिल होंगी :

(ए) कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र हेतु :

(i) कोयला की डेढ़ माह की लागत के बराबर जिनके उत्पादन स्टेशन खदान मुख (पिट हेड) पर स्थित हैं तथा कोयला की दो माह की लागत के बराबर जिनके उत्पादन स्टेशन खदान मुख पर स्थित नहीं है एवं जो लक्ष्य उपलब्धि के तत्संबंधी होंगे;''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा,, उपसचिव